## छट्टी की अर्जी का फार्म FORM OF APPLICATION FOR LEAVE

(अनुपूरक नियम 216 देखिये) / (See supplementary Rule 216)

टिप्पणी :- मद सं. । से ।। प्रत्येक प्रार्थी को भरनी चाहिए, चाहे वह राजपत्रित हो या अराजपत्रित । Note :- Items 1 to 11 must be lilled in by all applicants whether gazetted or non-gazetted.

- 1. प्रार्थी का नाम/Name of applicant
- 2. लागू होते वाली छुर्टी नियमावली Leave rules applicable
- 3. पद/Post held
- 4. विभाग, कार्यालय और अनुभाग Department, Office and Section
- 5. वंतन/Pay
- वर्तमान पद पर मिलने वाला मकान किराया भना सवारी भत्ता या अन्य प्रतिकर भत्ते ।

House rent allowance, conveyance allowance or other compensatory allowances drawn in the present post.

- 7. मांगी गयी छुट्टी की किस्म अवधि और उसके शुरू होने की तारीख/Nature and period of leave applied for Indidate from which required.
- रिववार और छुट्टी के दिन, यदि कोई हों, जिन्हें छुट्टी से पहले/बाद में जोड़ना चाहते हैं।
   Sundays and holidays, if any, proposed to be prefixed/ suffixed to leave.
- छुद्दो का कारण ।
  Ground on which leave is applied for
- पिछली छ्ट्टी से लौटने की तारीख और उस छुट्टी की किस्म तथा अविधि ।

Date of return from last leave, and the nature and period of that leave.

- 11. मेरा विचार आगामी छ्ट्टी में......र्ज खण्ड वर्षों के लिए छुट्टी यात्रा की केंफियत लेने का है/नहीं हैं/| propose/do not propose to avait myself of leave travel concession in the block years......during the extuing leave.
- 12. (क) में वचन देता हूं कि औसत वंतन छुर्टी/पश्चिति छुर्टी की अविधि में लिए गए छुर्टी वेतन और आधे औसत वंतन/आधे वंतन की छुर्टी से मिलने वंतन कि अन्तर की उम रकम को वाएम कर दूंगा जो छुर्टी की समाप्ति पर अधवा उसके दौरान मेरे सेवा निवृत होने की स्थित में मूल निव्म 81 (ख) (ii)/संशोधित छुट्टी नियमावली, 1933 के नियम 11 (ग) (iii) के लागू होने पर अनुमत्व न होती।
  - (a) I undertake to refund the difference between the leave salary drawn during leave on average pay/commuted leave and that admissible during leave on half average pay/half pay leave, which would not have been admissible had the proviso to F.R. 81 (b) (ii) / rule 11 (c) (iii) of the Revised Leave Rules, 1933, not been applied in the event of my retirement from service at the end of during the currency of the leave.

- 12. (ख) में वचन देता हूं कि मेरे स्वेच्या से सेवा निवृत्त होने या सेवा से त्याग-पत्र देने तक यदि मैं कम से कम आधे वेतन की उतनी छुद्टी अर्जित न कर सकं जितनी अग्रिम छुद्टी मेंने ली है तो अग्रिम छुद्टी के दौरान-जो मूल नियम 81 (ग)/संशोधित छुद्टी नियमावली. 1933 के नियम 11 (घ) के लागू न किए जाने पर मुझं न मिल पाती, मिले छुद्टी के वेतन को वापस कर दूंगा।
  - (a) I undertake to refund the leave salary drawn during leave not due which would not have been admissible had F.R. 81 (c) / Rule 11 (d) of the Revised Leave Rules, 1933 not been applied, in the event of my voluntary retirement or resignation from service at any time until I earn half pay leave not less than the amount of leave not due availed of by me.

तारीख	प्रार्थी के हताक्षर
Date	Signature of applicant
13.नियन्त्रण अधिकारी की टिप्पणी औएया सिफारिश	Unsattment Office and Section
Remarks and/or recommendation of Controlling	ng the
Officer.	ता योगा पर पर मिलने वाला पर्कान विदा
	हस्ताक्षर/Signature
तारीख/Date	पदनाम/Designation
been heaven	s.tt ni mysio zeonewolia ytoteanagmoo
छुट्टी की अनुमत्यता के	बारे में प्रमाण-पत्र
CERTIFICATE REGARDING AD	MISSIBLITY OF LEAVE
(राजपत्रित अधिकारियों के संबंध	में महालेखाकार द्वारा)
(By Accountant General in the ca	the last of the feeth the trivials
14. प्रमाणित किया जाता है कि	IN ICHW WORLD IF MINISTER
तकदिन के लिए	नियमावली के
नियमके अधीनके	(छुट्टी की किस्म) अनुमत्य है।
Cretified that	(Name of Leave)
forlr	om(Perioa) to
is admissible under rule	of theRules
	हस्ताक्षर/Signature
तारीख/Date	पदनाम/Designation
15. * स्वीकृति देने वाले अधिकारी के आदेश :-	To the second se
* Orders of the sanctioning authority:-	
es pritis reinipropries for performant of the color	हस्ताक्षर/Signature
तारीख/Date	पदनाम/Designation

<sup>\*</sup>यदि प्रार्थी को कोई प्रतिकर भत्ता मिलता हो तो मंजूरी देने वाले अधिकारी को यह लिखना चाहिए कि छुट्टी पूरी होने पर प्रार्थी उसी पद पर यह किसी ऐसे पद पर लौटने की आशा है या नहीं जहां इसी प्रकार का भत्ता मिलता हो :-

<sup>\*</sup>If the applicant is drawing any compensatory allowance, the sanctioning authority should state leave on the expiry of leave he is likely to return to the same post or to another post carrying leave allowance.